



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241829
CG-DL-E-10012023-241829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 15(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय के भर्ती नियमों (एमटीएस), 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण के पहले की गई या छोड़ी गई बातों के सिवाय, एतद्वारा राष्ट्रपति द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बहु-कार्य कर्मचारी के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (बहु-कार्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 2022 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतन स्तर इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) के निर्दिष्टानुसार होंगे।
- भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता - भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और उक्त पदों से संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) के निर्दिष्टानुसार होंगे।
- अयोग्यता - कोई भी व्यक्ति, -
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या ऐसा अनुबंध किया हो जिसकी पति या पत्नी जीवित हो; या
(ii) जिसने, जीवित पति या पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या ऐसा अनुबंध किया हो, उक्त पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि इससे संतुष्ट है कि ऐसा विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के लिए अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, इस नियम के पालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. **शिथिलता की शक्ति** - जहां केंद्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और जरूरी है, इन कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए और आदेश के द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों में से किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।
6. **बचाव** - इन नियमों से समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारी	49* (2022) *कार्यभार पर निर्भर अंतर के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर-मंत्रालयी	वेतन स्तर 1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं	18-25 वर्ष की आयु के बीच नोट : आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ/राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि वही अंतिम तिथि मानी जाएगी जिसको रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा जाए।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या स्थानांतरण से भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण या आईटीआई उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

क्या कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमितीकरण पर विचार हेतु):	लागू नहीं
1) निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष	
2) अवर सचिव (प्रशा.) – सदस्य	
3) अवर सचिव – सदस्य	

[फा. सं. 12/4/2015-प्रशा.]

पल्लवी अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of this Ministry's Recruitment Rules(MTS), 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Women and Child Development, namely:-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Women and Child Development (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay level.**- The number of said posts, their classification, pay level attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**- No person,-
(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	No. of Post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-tasking Staff	49* (2022) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (Rs.18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of Probation , if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or transfer grades from which promotion or deputation/ transfer to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation or equivalent pass or ITI Pass	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Director/Deputy Secretary (Admn.) – Chairperson 2. Under Secretary(Admn.) – Member 3. Under Secretary – Member	Not applicable.

[F. No. 12/4/2015-Admn.]

PALLAVI AGARWAL, Jt. Secy.